

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ. 7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14-15 / 9413

दिनांक : 25.09.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 – निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायतीराज(निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 68 एवं 69 के प्रावधान वर्णित है, जो निम्नानुसार है:-

“68. Appointment of election agent and revocation of such appointment.- (1) If a candidate seeking election to a Panchayat Samiti or Zila Parishad desires to appoint an election agent such appointment shall subject to the provisions of sub-rule (2) and (3), be made in form VIII either at the time of delivering the nomination paper or at any time before election. (2) The appointment of the election agent may be revoked by the the candidate at any time by a declaration in writing signed by him and lodged with the Returning Officer. Such revocation shall take effect from the date on which it is lodged. In the event of such revocation or in the event of the election agent dying before or during the period of the election, the candidate may appoint a new election agent in accordance with the provisions of sub-rule(1). (3) No person, who is for the time being disqualified under the Act from being elected or from voting at any election of Panchayat shall, so long as the disqualification subsists, be appointed as an election agent.

69. Appointment of polling agent :- (1) At an election at which poll is to take place for the office of Sarpanch or members of Panchayat Samiti or Zila-Parishad, any contesting candiate, or his election agent, may appoint one agent to act as polling agent of such candidate at each polling station. Such appointment shall be made by a letter in writing in duplicate in form IX signed by the candidate or his election agent.

(2) The candidate or his election agent shall deliver the duplicate copy of the letter of appointment to the polling agent who shall, on the date fixed for the poll present it to, and sign the declaration contained therein, before the Presiding Officer. The Presiding Officer shall retain the duplicate copy presented to him in his custody. No polling agent shall be allowed to perform any duty at the polling station unless he has complied with the provisions of this sub-rule.

उक्त नियम 69 के उप नियम (1) के अनुसार सरपंच, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचनों में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उस उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के तौर पर काम करने के लिए एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। ऐसी नियुक्ति उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता के हस्ताक्षर वाले “प्ररूप- 9” में दो प्रतियों में लिखित पत्र के जरिए की जायेगी।

उप नियम (2) के अनुसार उम्मीदवार या उसका चुनाव अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि मतदान अभिकर्ता को देगा। मतदान अभिकर्ता मतदान की तय तारीख पर नियुक्ति पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसमें दिए गए घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे सौंपी गई प्रतिलिपि को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। जब तक कोई मतदान अभिकर्ता इस उप-नियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता, तब तक उसे मतदान केन्द्र पर कोई भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1. मतदान अभिकर्ता की अर्हताएं:-

- पंचायत क्षेत्र के किसी भी मतदाता को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
- मतदान अभिकर्ता के पास फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग द्वारा बताए गए कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज होने चाहिए।

2. मतदान अभिकर्ता की निरर्हताएं:-

- उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को मतदान अभिकर्ता और वैकल्पिक मतदान अभिकर्ता बनने की अनुमति नहीं है:
 - केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कार्यकारी मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्य।
 - स्थानीय निकायों के कार्यकारी निर्वाचित सदस्य।
 - केन्द्र व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी निकायों/निगमों के अध्यक्ष और सदस्य।
 - सरकार से कोई मानदेय प्राप्त करने वाले या किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में पार्ट-टाइम काम करने वाले व्यक्ति।
 - सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले पैरा-मेडिकल/हेल्थकेयर कर्मचारी, उचित मूल्य की दुकान के डीलर, आंगनवाड़ी कर्मचारी।
 - सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134-क के तहत एक अपराध है और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को तीन माह की कैद, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है)
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सुरक्षा कवर वाले किसी भी व्यक्ति को चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में काम करने के लिए अपनी सुरक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

3. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति:-

- मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति "प्ररूप- 9" (राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 69) में की जानी चाहिए।
- उक्त प्ररूप में उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतदान अभिकर्ता को यह फॉर्म मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी को सौंपना होगा। मतदान अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी के सामने "प्ररूप- 9" में दिए गए घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए उम्मीदवार/चुनाव अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर(specimen signature) की जांच करके मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की प्रमाणिकता की जांच करेंगे।
- मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र के अन्दर रहने के दौरान अपना नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अपने पास रखना होगा और दिखाना होगा।

4. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण:-

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता मतदान शुरू होने से पूर्व किसी भी समय अपने हस्ताक्षर वाले नियुक्ति प्रतिसंहरण लिखित घोषणा पत्र(प्रतिसंलग्न) के द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द कर सकता है। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्रतिसंहरण घोषणा पत्र की प्रति उस मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारी के पास प्रस्तुत की जायेगी, जहां मतदान अभिकर्ता को नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही नये मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र (प्ररूप-9) भी प्रस्तुत किया जायेगा।

5. मशीनों और चुनाव कागजों को सील करना:-

- ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा उनसे संबंधित कैरिड्रिंग केस में रखकर ईवीएम को सील किया जाता है। मतदान अभिकर्ता को केस पर हस्ताक्षर करने और सील लगाने की अनुमति होती है।

नोट:- 1. पंच पद के लिए कोई मतदान अभिकर्ता नहीं होगा। स्वयं अभ्यर्थी ही मतदान अभिकर्ता का कार्य कर सकेगा।

2. सरपंच पद के लिए कोई निर्वाचन अभिकर्ता नहीं होगा।

उक्तानुसार पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

25/09/2026
(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14-15/9414-17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 25-09-2026

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी माफत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

उप सचिव

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप

*पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से पंचायत समिति सदस्य
*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन का
जो को होने जा रहा है, अभ्यर्थी, इसके द्वारा
श्री को

उपर्युक्त निर्वाचन के लिए इस तारीख से मेरे निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ

#####

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं उपर्युक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ।

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

અનુમોદિત

■■■■■

रिटनिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण फार्म

प्रेषिति:-

पीठासीन अधिकारी,

मतदान केन्द्र सं.

मतदान केन्द्र का नाम.....

महोदय,

मैं,उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी/उपर्युक्त निर्वाचन के अभ्यर्थी
श्री/श्रीमती का निर्वाचन अभिकर्ता श्री/श्रीमती
..... मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का इसके द्वारा प्रतिसंहरण करता हूँ।

तारीख

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

*सरपंच, ग्राम पंचायत

*निर्वाचन क्षेत्र सं.....से पंचायत समिति के सदस्य

*पंचायत समिति/जिला परिषद.....की
निर्वाचन क्षेत्र सं..... से जिला परिषद के सदस्य

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।